

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर


कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री मदनलाल शर्मा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि खेजरोली, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि चतरगंज, बांरा किया गया। श्री मदनलाल शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 17532/2019 श्री मदनलाल शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17532/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 द्वारा माननीय अधिकरण को याचिकार्थी की अपील पर सुनवाई के निर्देश देकर अधिकरण के आगामी आदेश तक याचिकार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं करने तथा याचिकार्थी के विरुद्ध कोई अवपीड़क कार्यवाही अमल में नहीं लाने के आदेश प्रदान किये।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी मदनलाल शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पुत्र के गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित एवं लकवाग्रस्त होने, पत्नी के स्लिप डिस्क से पीड़ित होने एवं पिताजी के निरंतर बीमार रहने तथा परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं पर होने के आधार पर अपना समायोजन राउमावि खोराश्यामदास, जयपुर /राउमावि रूण्डल, आमेर, जयपुर/महेशवास कलां, जालसु, जयपुर /राउमावि कंवरपुरा, आमेर, जयपुर अथवा राउमावि मालावाला, जमवारामगढ, जयपुर में व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के रिक्त पद पर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। याचिकार्थी की गंभीर प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राउमावि रूण्डल, आमेर, जयपुर में व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 02/12/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.।
8. गार्ड पंजिका।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर